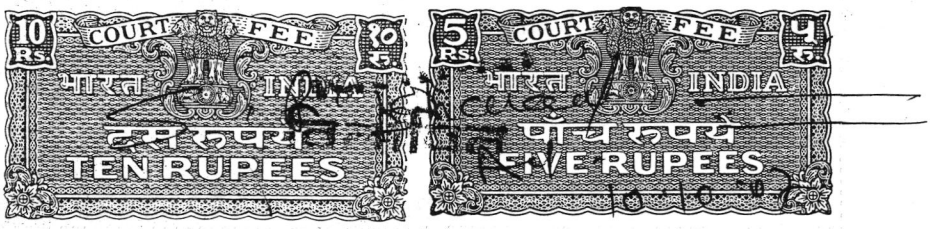

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

10-10-07

न्यायालयः— मान. राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2007 पुनर्विलोकन

निग्र 1692-I/07

श्री ... पी. डी. ... द्वारा आज दि. 10-10-07 को प्रस्तुत।

10-10-07

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

1. राजावेटी पत्नी जयराम जाटव
2. कोमल पुत्र गोपाल जाटव
3. गीतावाई पत्नी प्रभूदयाल जाटव
4. सोभाराम पुत्र सुम्भा जाटव
5. दयाराम पुत्र सुम्भा जाटव
   निवासीगण ग्रंाम बढानपुर तह. खनियादान जिला शिवपुरी म.प्र.

—— आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

—— अनावेदक

<u>पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय मान. राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रक0 289—पी.बी.आर./07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10—08—07 जानकारी दिनांक से अवधि अन्दर प्रस्तुत।</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Rev 1692–I/07 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–7–2015	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :– (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी ; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती ; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता हैं । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	